

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आ.५०एल०आर०

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्नके अनुसार

श्रीमान श्री हरिप्रसाद मजरावा 2075-78 (कतल 112 कात 104)

कात 104 हनुमान (कतल 112) के अर्धक (कोतल) का नाम उक्त पत्रवाक
के अर्धक है न. मान्य कात 104 हनुमान का अर्धक है कतल कात 104

लिखा जाना उचित है

दिनांक :-

14/12/2020

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है/नहीं की जाती है।

उक्त बातों को ध्यान में रखा जाकर उचित है

ताहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)
-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं ताहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर ताहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | ग्राम | जमाबन्दी संवत् | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---------|-----------|----------------|-------------|----------------------------|---|
| 1 | हरिप्रसाद | 2075-78 | 112 | मजरावा हनुमान | मान्य कात 104 हनुमान |

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जाना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 14/12/20

क्र :- राजस्व/2020/2242

मपि :-

1. ताहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्तु पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी